W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

मुन्तकिली प्रा.पत्र / टीए / 1924 / 2012 / जिला सीकर

1—फूलचन्द पुत्र गिरधारी, 2—अणचीदेवी बेवा हनूमान, 3—सन्तोषदेवी पुत्री हनूमान, 4—शान्तिदेवी पुत्री हनूमान समस्त जाति जाट, निवासी पंचलगी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनु।

..... **प्रार्थीगण**

बनाम

1— उत्तमसिंह, पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनु।

2—रामेश्वर पुत्र गिरधारी, 3—रिछपाल पुत्र गिरधारी, 4—मेहताब पुत्र कालू, 5—बनवारी पुत्र कालू, 6—नानची देवी पत्नी जगदीश, 7—किशोरसिंह पुत्र जगदीश, 8—महेन्द्रसिंह पुत्र जगदीश समस्त जाति जाट, निवासी पंचलगी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनु।

9—फूलचन्द पुत्र सुरजाराम, 10—रामस्वरुप पुत्र सुरजाराम, 11—महावीर पुत्र सुरजाराम, 12—बीरबल पुत्र सुरजाराम, 13—सत्यनारायण पुत्र गरीबाराम समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी पंचलगी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनु।

..... **अप्रार्थीगण**

एकल—पीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री विकास पाराशर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
श्री जी. एस. चारण, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 04—06—2012

1— प्रार्थी फूलचन्द आदि ने प्रकरण संख्या 90 / 06 बउनवान रामेश्वर बनाम फूलचन्द आदि को उपखंड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित कराने बाबत यह प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955 की धारा 233 के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

2— सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी से टिप्पणी प्राप्त की गयी, जो उनके पत्र दिनांक 11—04—2012 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

3— बहस अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गयी।

4— विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने बहस अभिकथन किया कि विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण में जल्दी जल्दी पेशी दे रहे हैं और प्रकरण को अप्रार्थी के पक्ष में निर्णीत करने पर आमादा हैं। अप्रार्थीगण द्वारा भी प्रार्थीगण को धमकाया जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी आगामी तारीख पेशी पर उनके हक में ही निर्णय करेंगें। प्रार्थी गरीब खातेदार काबिज काश्तकार है तथा विवादित भूमि सहखातेदारी की आराजीयात है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के दबाव में आकर प्रकरण को निरस्त करने के पक्ष में है। यह समस्त तथ्य प्रार्थी को उनसे न्याय प्राप्त होने में शंका उत्पन्न करते है। उनका यह व्यवहार स्पष्टतयाः न्यायिक कार्य पद्धति के विपरीत है और यह सिद्ध करता है कि वे प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करने हेतु प्रतिबद्ध है। अतः उपखंड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 90 / 2006 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

5— विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत हो कि उपखंड अधिकारी उदयपुरवाटी अनुचित रूप से अप्रार्थी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकरण में कोई कार्यवाही कर रहे हो। यह प्रार्थनापत्र मात्र प्रकरण में देरी करने के प्रयोजन से लाया गया है, जिसे खारिज किया जावे।

6— हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र मुन्तकिली के तथ्यों एवं इस सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 11—04—2012 का भी अवलोकन किया।

7— उपखंड अधिकारी उदयपुरवाटी के द्वारा प्राप्त पैरावाईज टिप्पणी में सभी आरोपों को मनगढत, काल्पनिक एंव

तथ्यहीन बताते हुए न्यायहित में वाद को स्थानान्तरित करने में कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया है तथा अंकित किया है कि प्रकरण 20–06–2006 से लम्बित है तथा दिनांक 18–07–2008 से लगातार साक्ष्य वादी में विचाराधीन है।

8– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह माना जा सके कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकरण में कार्यवाही कर रहे हों। प्रार्थी द्वारा काल्पनिक तथ्य वर्णित करते हुये हस्तगत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण इस बिन्दु पर अपने पक्ष में कोई कारण स्पष्ट नहीं कर पाये कि 18–07–2008 से साक्ष्य वादी में चल रहे प्रकरण में वादी/प्रार्थीगण द्वारा अब तक साक्ष्य क्यों प्रस्तुत नहीं की गयी है, जबकि कार्यालय में उपलब्ध सूचना अनुसार उपखण्ड अधिकारी के पद पर वर्तमान में पदस्थापित अधिकारी श्री उत्तमसिंह जुलाई 2011 से ही कार्यरत है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अथवा दौराने बहस ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे प्रतीत हो कि पीठासीन अधिकारी प्रश्नगत प्रकरण को प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णीत करने के लिये आमादा हो। मात्र कालपनिक आधार वर्णित करते हुये हस्तगत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र के पेरा 4 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि पूर्व में प्रार्थी द्वारा जिला कलेक्टर झुन्झुनु के समक्ष भी एक मुन्तकिली प्रार्थनापत्र इसी प्रकरण बाबत प्रस्तुत किया गया था, जो जिला कलेक्टर ने खारिज कर दिया है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण को लम्बा करने के लिये एक के बाद एक हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है जिनका कोई आधार नहीं है।

9– हमारा यह सुविचारित मत है कि **बिना ठोस कारण के प्रकरण को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हस्तान्तरित कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों से न केवल न्याय में विलम्ब होता है अपितु उस अधिकारी की प्रतिष्ठा को भी ठेस लगती है जिसके विरुद्ध निराधार आरोप लगाये जाते हैं। इसके अलावा पक्षकारान के निवास–स्थल के निकटतम स्थान पर न्याय प्राप्त करने की अवधारणा भी निष्फल होती है। अन्य पक्षकार को बिना कारण** अपने निवास से दूरस्थ स्थान पर प्रतिरक्षण/पैरवी के लिये जाना पड़ता है।

10— राजस्व मण्डल की ही एकल पीठ द्वारा 1994 RRD 117 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः—

> *"Transfer of a case from a competent Court is not a mere formality but it certainly casts a stigma on its Presiding Officer. It is true that the justice should not only be done but it should appear to have been done. Transferring a case without sufficient or adequate reason even on the basis of consent of the parties or convenience of parties is not called for or cannot be done. There must be a reasonable apprehension in the mind of a litigant seeking transfer of a case from the Court of a particular Presiding Officer. Mere making any observation by the Presiding Officer during hearing an appeal and on the basis of such observations, if any of the parties to the appeal feels that the result of the appeal may go against it, it cannot be said that such a party has a reasonable apprehension that it would not get justice in the case, …."*

इसी प्रकार 2006-07 (Supp.) RRT 435 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः—

> ***"फौरी कारणों से मात्र कयास के अधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है। बिना किसी ठोस आधारों के मुन्तकिली प्रार्थनापत्र स्वीकार करना न्याय प्रक्रिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड़ में दुरूपयोग को बढावा नहीं मिलना चाहिये। उच्च अदालतों को यह भी देखना चाहिये कि इस प्रकार के प्रावधानों का abuse of the process of law नहीं हो।"***

11— उपरोक्त पेरा 8 से 10 में की गयी विवेचना के आधार पर हमारा यह स्पष्ट मत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तान्तरण प्रार्थनापत्र सारहीन एवं निराधार है। किन्तु चूंकि **प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध दो बार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके अविश्वास की मोटी दीवार खड़ी कर ली है। अतः कोई ठोस कारण नहीं होते हुये भी, राजस्व न्याय प्रणाली में आम जन का विश्वास बनाये रखने के लिये, हम हस्तगत प्रार्थनापत्र को कॉस्ट (cost) पर स्वीकार करना उचित समझते है। कॉस्ट (cost) की राशि अप्रार्थी पक्ष को मिलेगी ताकि वह बिना कारण**

व बिना अपने दोष के बावजूद न्याय के लिये निवास स्थल से दूर जाने में होने वाले समय और पैसे की बर्बादी को आंशिक रुप से सहन कर सके।

12— परिणामतः हस्तगत प्रार्थनापत्र को रु.1000/— का कॉस्ट (cost) पर स्वीकार किया जाता है और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 90/2006 को उपखण्ड अधिकारी सीकर के न्यायालय में हस्तान्तरित किया जा कर उभयपक्ष को जरिये अभिभाषकगण निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक ———————— को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर में वास्ते आगामी कार्यवाही उपस्थित हों।

13— उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनु को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त निर्धारित दिनांक ———————— से पूर्व उनके न्यायालय की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, सीकर को हस्तान्तरित कर दें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य